ROYAL THRIVE
(A Peer Reviewed & Refereed Journal)
Volume – 2 Issue – 1 January – 2025 ISSN : 3048-524X

भारत में हिंदू विधि के तहत नाजायज बच्चे की स्थिति

डॉ. कपिल देव
सहायक प्रोफेसर.
रॉयल कॉलेज ऑफ लॉ गाजियाबाद

परिचय

विवाहेतर संबंध या अमान्य या अवैध विवाह से पैदा हुआ बच्चा नाजायज माना जाता है। दूसरे शब्दों में, नाजायजता को नाजायज जन्म या कानून के अनुसार जन्म न लेने या विवाहेतर संबंध या व्यभिचार से पैदा होने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हिंदू परिवार में नाजायज बच्चों की स्थिति और अधिकारों के सवाल पर समस्या के विभिन्न पहलुओं से विचार किया जा सकता है। सुविधा और स्पष्टता के लिए हम निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करेंगे और शास्त्रीय और आधुनिक हिंदू कानून दोनों में स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे।

शास्त्रीय हिंदू विधि

शास्त्रीय हिंदू कानून एक बहुत ही अजीब लेकिन समझने योग्य स्थिति को दर्शाता है। विवाह की संस्था के संस्कार और इसके माध्यम से पुत्रत्व की संस्था की पवित्रता में सख्ती से विश्वास करते हुए, विवाह की पवित्रता के अलावा किसी भी चीज से पुत्रत्व को नीचा नहीं दिखाया जा सकता है। यह विचार की महानता को दर्शाता है कि आध्यात्मिक लाभ के साथ-साथ परिवार की निरंतरता के लिए एक पुरुष संतान की पवित्र इच्छा के साथ-साथ पत्नी की शुद्धता और नैतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। नाजायजता की अवधारणा को पूरी तरह से समझने के लिए हमें "दासी" और "पुत्रत्व के सामान्य कानून" की अवधारणा पर थोड़ा विस्तार से विचार करना होगा।

एच.एच.विल्सन ने 'दास' और ' दासी ' का अर्थ 'मछुआरा', 'सेवक', 'दास', 'शूद्र' या चौथी जनजाति का व्यक्ति बताया। 'दास' पुल्लिंग संज्ञा है और दासी स्त्रीलिंग है और उनके अनुसार 'दासी' का अर्थ है 'एक महिला नौकर या दासी, एक दास या शूद्र की पत्नी।प्रोफेसर मोनियर विलियम्स 'दास' को एक मछुआरा, नाविक और 'दासी' को एक महिला नौकर या दासी, नौकरानी, वेश्या, वेश्या के रूप में वर्णित करते हैं। दासता और शूद्र की स्थिति के बीच समानता प्रतीत होती है।

ROYAL THRIVE
(A Peer Reviewed & Refereed Journal)
Volume – 2 Issue – 1 January – 2025 ISSN : 3048-524X

यदि हम याज्ञवल्क्य के पाठ के कोलब्रुक के अनुवाद को देखें, तो हमें उनकी टिप्पणी मिलती है कि कानून में उपपत्नी से उत्पन्न संतान को एक महिला दास या एक शूद्र महिला द्वारा पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। यदि पिता शूद्र होता तो वह अपने नाजायज बेटे को हिस्सा दे सकता था।

हालाँकि अब दास प्रथा विलुप्त हो चुकी है, लेकिन जब दास प्रथा प्रचलित थी, तो एक महिला दास एक आश्रित सदस्य के रूप में स्थायी रूप से परिवार से जुड़ी रहती थी, और पुरुष सदस्यों द्वारा उससे पैदा हुआ बेटा भी उसी तरह एक निम्न सदस्य होता था। ऐसे उदाहरण हैं कि ऐसी आश्रित महिला दासियों को उपपत्नी कहा जाता था और वे उन्हें रखने वाले व्यक्ति के परिवार के सदस्य के रूप में रहती थीं। इस प्रकार कोलब्रुक ने "एक महिला दास या एक शूद्र महिला द्वारा पुत्र" की बात की है, जिसका अर्थ है एक उपपत्नी द्वारा पुत्र। जब हम नाजायज बेटे के अधिकार का उल्लेख करते हैं तो कुछ गलत धारणाएँ प्रतीत होती हैं।

बृहस्पति कहते हैं: शूद्र स्त्री द्वारा किसी ऐसे पुरुष से उत्पन्न गुणी और आज्ञाकारी पुत्र, जिसके कोई अन्य संतान न हो, उसे भरण-पोषण मिलना चाहिए तथा शेष संपत्ति को उसके संबंधियों को दे देना चाहिए।

मनु कहते हैं: शूद्र या दासी या दास की दासी से उत्पन्न पुत्र, पिता की अनुमति से (विभाजन पर) हिस्सा ले सकता है, यह स्थापित नियम है।

याज्ञवल्क्य ने कहा है: शूद्र द्वारा दासी से उत्पन्न पुत्र भी पिता की इच्छा से हिस्सा ले सकता है, लेकिन यदि पिता की मृत्यु हो जाए, तो (वैध) भाई को उसे आधा हिस्सा देना चाहिए, जिसका कोई (वैध) भाई न हो, वह पुत्री के पुत्र तक (उत्तराधिकारियों के अभाव में) पूरा हिस्सा ले सकता है।

इन ग्रंथों को संस्कृत भाषा में दायभाग में उद्धृत किया गया है, जिसका अनुवाद कोलब्रुक ने इस प्रकार किया है:

लेकिन शूद्र का अविवाहित दासी या उसके जैसी शूद्र स्त्री से उत्पन्न पुत्र, पिता की अनुमति से अन्य पुत्रों के साथ समान रूप से भाग ले सकता है। सर विलियम मैकनॉटर के हिंदू विधि में लेखक ने अपनी राय दी है कि यदि स्त्री उसकी दासी न होती, तो उसके द्वारा उत्पन्न पुत्र को उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं होता, बल्कि उसे केवल भरण-पोषण का अधिकार होता, लेकिन यह दृष्टिकोण अन्य लेखकों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और दायभाग में दृष्टिकोण अलग है, जहाँ कहा गया "शूद्रस्यां अपरिनित दास्यादि, शूद्रपुत्र" जिसका अर्थ है कि अविवाहित दासी या अन्य शूद्र स्त्री द्वारा शूद्र से उत्पन्न पुत्र, पिता की सहमति से अन्य पुत्रों के साथ समान रूप से भाग ले सकता है।

डॉ. कपिल देव
सहायक प्रोफेसर.
रॉयल कॉलेज ऑफ लॉ गाजियाबाद

ROYAL THRIVE
(A Peer Reviewed & Refereed Journal)
Volume – 2 Issue – 1 January – 2025 ISSN : 3048-524X

विभिन्न अधिकारियों और लेखकों के विचारों को सारांशित करते हुए, उत्तराधिकार की अवधारणा के माध्यम से, हम चार स्थितियाँ पाते हैं:-

(i) तीन उच्च वर्गों में से किसी एक से संबंधित हिंदू के "दासी" द्वारा उत्पन्न नाजायज पुत्र

(ii) "दासी" द्वारा उत्पन्न शूद्र के नाजायज पुत्र

(iii) "दासी" न होने वाली हिंदू महिला द्वारा उत्पन्न नाजायज पुत्र

(iv) गैर-हिंदू महिला द्वारा उत्पन्न हिंदू के नाजायज पुत्र |

वैकल्पिक रूप से हम निम्न प्रकार से भी अनुमान लगा सकते हैं:-

(i) शूद्र का नाजायज पुत्र दासी का पुत्र (पुत्र) होता है, जो जन्म के समय अपने पिता के निरंतर और अनन्य पालन में रहने वाली हिंदू उपपत्नी होती है।

(ii) वह व्यभिचार या अनाचारपूर्ण संभोग का फल नहीं है।

(iii) यह आवश्यक नहीं है कि उसकी मां उसके पिता की मृत्यु के दिन तक स्थायी उपपत्नी बनी रहे।

(iv) शूद्र की ब्राह्मण मालकिन स्वयं शूद्र नहीं बनती और उसका पुत्र दासीपुत्र नहीं होता।

(v) यह आवश्यक नहीं है कि किसी स्त्री को दासी माना जाए और वह विवाहित न हो।

(vi) जब अवैध संबंध शुरू होता है तो वह विधवा हो सकती है।

(vii) जब ऐसा संबंध शुरू होता है तो वह विवाहित भी हो सकती है, बशर्ते कि इस मामले में जब पुत्र का गर्भधारण हो जाता है तो संबंध व्यभिचारी नहीं रह जाता, क्योंकि गर्भधारण से पहले पति की मृत्यु हो जाती है।

इस प्रकार दासी और दासीपुत्र के क्षेत्र में भ्रमण करने के पश्चात्, पुत्रत्व के सामान्य हिंदू कानून में दासीपुत्र का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, जिसमें "नुलियस फिलियस" की अवधारणा को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए 12 या 13 प्रकार के पुत्रों को मान्यता दी गई है।

मनु ने हिंदू कानून के तहत मान्यता प्राप्त 12 प्रकार के पुत्रों की बात की है, हालांकि जहां तक उत्तराधिकार का सवाल है, उन्हें अलग-अलग माना गया है। बल्कि औरस पुत्र एकमात्र प्राथमिक पुत्र है और अन्य सभी पुत्र गौण हैं। वे हैं:-

1. वह जिसे कोई व्यक्ति अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न करता है, उसे शरीर (औरस) का वैध पुत्र माना जाना चाहिए, जो प्रथम श्रेणी का है।

डॉ. कपिल देव
सहायक प्रोफेसर.
रॉयल कॉलेज ऑफ लॉ गाजियाबाद

ROYAL THRIVE
(A Peer Reviewed & Refereed Journal)
Volume – 2 Issue – 1 January – 2025 ISSN : 3048-524X

2. वह जो किसी मृत व्यक्ति, किसी नपुंसक या किसी मृतक की नियत पत्नी से विशिष्ट कानून (नियोग) के अनुसार उत्पन्न हुआ हो, उसे पत्नी (क्षेत्रग) से उत्पन्न पुत्र कहा जाता है।

3. वह (लड़का) जो जाति के अनुसार समान हो, जिसे माता या पिता विपत्ति के समय प्रेमपूर्वक जल सहित अपना पुत्र बना लें, उसे दत्तक पुत्र (दात्रीमा) समझना चाहिए।

4. परंतु जिसे (मनुष्य) अपने पुत्र को (जाति के अनुसार) समान बनाता है, जो उचित-अनुचित का भेद जानता हो, तथा पुत्रवत गुणों से युक्त हो, उसे बनाया हुआ पुत्र (कृत्रीमा) समझना चाहिए।

5. यदि (बच्चा) किसी पुरुष के घर में जन्म ले और उसके पिता का पता न हो, तो वह उस घर में गुप्त रूप से जन्मा पुत्र (गुधोत्पन्न) है और जिसकी स्त्री से वह उत्पन्न हुआ है, उसका हो जाता है।

6. जिसे (मनुष्य) अपने माता-पिता या उनमें से किसी एक द्वारा त्याग दिए जाने के पश्चात् अपना पुत्र बना लेता है, उसे त्यागा हुआ पुत्र (अपविद्ध) कहते हैं।

7. यदि कोई कन्या अपने पिता के घर में गुप्त रूप से पुत्र को जन्म देती है, तो उसे अविवाहित कन्या के पुत्र (कनीना) का नाम देना चाहिए तथा अविवाहित कन्या की ऐसी संतान को उस व्यक्ति का घोषित करना चाहिए जो उससे (बाद में) विवाह करे।

8. यदि कोई जाने-अनजाने में गर्भवती (वधू) से विवाह कर ले, तो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा उस व्यक्ति का होता है जो उससे विवाह करता है, तथा वह (वधू के साथ प्राप्त) पुत्र कहलाता है।

9. यदि कोई व्यक्ति पुत्र प्राप्ति के लिए अपने पिता या माता से समान या असमान गुणों वाला कोई लड़का खरीदता है, तो वह खरीदा हुआ पुत्र (कृतक) कहलाता है।

10. यदि पति द्वारा त्यागी गई स्त्री या अपनी इच्छा से विधवा स्त्री दूसरा विवाह कर लेती है और पुत्र को जन्म देती है, तो उसे पुनर्विवाहित स्त्री का पुत्र (पौनार्भव) कहते हैं।

11. जो व्यक्ति अपने माता-पिता को खो देता है या बिना किसी कारण के त्याग दिया जाता है, वह स्वयं को किसी पुरुष को दे देता है, उसे स्वयं दिया हुआ पुत्र (स्वयंदत्त) कहते हैं।

12. ब्राह्मण द्वारा शूद्र स्त्री पर काम-वश उत्पन्न किया गया पुत्र जीवित (परायण) होता है, तथापि वह शव (सव) होता है, इसलिए उसे (परसव) कहते हैं, जीवित शव।

डॉ. कपिल देव
सहायक प्रोफेसर.
रॉयल कॉलेज ऑफ लॉ गाजियाबाद

ROYAL THRIVE
(A Peer Reviewed & Refereed Journal)
Volume – 2 Issue – 1 January – 2025 ISSN : 3048-524X

मनु ने सभी प्रकार के बच्चों को हिंदू विधि के अंतर्गत लाया है और उन्हें परिवार का सदस्य माना है, लेकिन अन्य श्लोकों में भी औरस पुत्र और अन्य पुत्रों के बीच अंतर की बात कही गई है, जब वे कहते हैं। मनु ने स्वयंभू से उत्पन्न बारह पुत्रों में से छः को स्वजन तथा उत्तराधिकारी बताया है, तथा छः उत्तराधिकारी नहीं, अपितु स्वजन हैं। देह से उत्पन्न वैध पुत्र, पत्नी से उत्पन्न पुत्र, दत्तक पुत्र, बनाया हुआ पुत्र, गुप्त रूप से जन्मा पुत्र तथा त्यागा हुआ पुत्र, ये छः उत्तराधिकारी तथा स्वजन हैं। अविवाहित कन्या का पुत्र, पत्नी से प्राप्त पुत्र, खरीदा हुआ पुत्र, पुनर्विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, स्वयं दिया हुआ पुत्र तथा शूद्र स्त्री, ये छः उत्तराधिकारी नहीं, अपितु स्वजन हैं। देह से उत्पन्न वैध पुत्र ही पैतृक सम्पत्ति का स्वामी होगा, किन्तु कठोरता से बचने के लिए उसे शेष को भरण-पोषण देना चाहिए।

आपस्तम्ब मनु द्वारा बताए गए इस प्रकार के पुत्रत्व को मान्यता या अनुमोदन नहीं देते हैं और उनका दृढ़ मत है कि जो पुत्र उचित समय पर समान जाति की स्त्री के पास जाता है, जो किसी अन्य पुरुष की न रही हो और जिसका विधिपूर्वक विवाह हुआ हो, तो उसके पुत्रों को (अपनी जाति का) व्यवसाय करने और संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है। यदि कोई पुरुष किसी ऐसी स्त्री के पास जाता है जो उससे पहले विवाहित थी या विधिपूर्वक विवाहित नहीं थी, या किसी अन्य जाति की है, तो वे दोनों पाप करते हैं। उनके (पाप) के कारण उनका पुत्र भी पापी हो जाता है। वसिष्ठ पुराने हथियारों को सामने लाते हैं और वैदिक ग्रंथों तथा स्वीकृत कानूनी मिसालों की एक बड़ी श्रृंखला लेकर आते हैं। वे प्राचीन रीति-रिवाजों और अपने समय की संस्थाओं की प्राचीनता का हवाला देते हैं। वसिष्ठ के अनुसार गौतम और बौधायन द्वारा बताए गए ग्यारह प्रकार के प्रतिस्थापनों के प्रयोग की आपस्तम्ब द्वारा निंदा करना सही नहीं है। यह निंदा अनुचित है, प्राचीन ऋषियों के प्रति अनादर नहीं है। निश्चित रूप से बारह प्रकार के पुत्र हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं हो सकता। प्राचीन ऋषियों ने उन्हें मान्यता दी है। इस प्रकार, मनु द्वारा प्रतिपादित, गौतम ने नियम बनाया। बौधायन ने उनका समर्थन किया। आपस्तम्ब ने उनके तर्कों पर हमला किया। वसिष्ठ ने पूर्व विधानकर्ताओं द्वारा निर्धारित नियम को निश्चित रूप से सत्य बताया और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता।

लेकिन हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यदि स्मृतियों में कोई अंतर है, तो मनुस्मृति में लिया गया दृष्टिकोण मान्य होगा। इसलिए यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिंदू कानून में "पूर्ण शून्य" की कोई अवधारणा नहीं थी। बल्कि हर प्रकार के बेटे को मान्यता दी गई या उसे मंजूरी दी गई, हालांकि उत्तराधिकार के

डॉ. कपिल देव
सहायक प्रोफेसर.
रॉयल कॉलेज ऑफ लॉ गाजियाबाद

ROYAL THRIVE
(A Peer Reviewed & Refereed Journal)
Volume – 2 Issue – 1 January – 2025 ISSN : 3048-524X

मामले में, वैध और नाजायज बेटे के बीच अंतर रखा गया है। तीन उच्च वर्गों में नाजायज बेटे कभी भी वारिस नहीं बनते, बल्कि केवल भरण-पोषण के हकदार होते हैं।

आधुनिक हिंदू विधि

लेकिन अगर हम आधुनिक हिंदू कानून की ओर देखें तो हमें कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। आधुनिक हिंदू कानून ने बेटे को चार श्रेणियों में विभाजित किया है:-

(1) वैध विवाह से पैदा हुआ बेटा। (इसमें दत्तक पुत्र भी शामिल है)

(2) शून्य या शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुआ बेटा।

(3) अमान्य विवाह से पैदा हुआ बेटा

(4) विवाह से बाहर पैदा हुआ बेटा।

श्रेणी (I):- इस पर किसी टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 और अनुसूची I के अनुसार वैध संतान और श्रेणी I का उत्तराधिकारी है।

श्रेणी (2):- शून्य विवाह से पैदा हुआ बेटा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की संशोधित धारा 16 के अंतर्गत आता है, जिसने सामान्य कानून के सिद्धांत को पूरी तरह से खत्म कर दिया है कि, "ऐसे विवाह से पैदा हुई संतान जो वैधानिक रूप से शून्य और शून्य है, वह नाजायज़ है"। सबसे पहले, इसने घोषित किया है कि ऐसे बच्चे की स्थिति वैध है। दूसरे, यह माता-पिता की संपत्ति में उसके अधिकार को मान्यता देता है, दूसरों की नहीं। इस प्रकार, हालांकि यह प्रावधान परोपकारी है, फिर भी यह थोड़ा भेदभावपूर्ण है, क्योंकि ऐसे बच्चे को पूर्ण संपत्ति अधिकार नहीं मिलते हैं क्योंकि अधिनियम की धारा 16(3) में "माता-पिता के अलावा" अभिव्यक्ति का उपयोग संपत्ति के लिए उसके अधिकारों को सीमित करता है। इसी तरह का मामला शून्यकरणीय विवाह के लिए है और इस तरह के विवाह में पैदा हुआ बेटा वैध है और उसे अधिनियम की धारा 16(3) के तहत संपत्ति (हालांकि सीमित) का अधिकार है।

श्रेणी (3):- ऐसे विवाह से पैदा हुए बच्चे, जो अमान्य है, किसी वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते हैं। यदि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(iii) या धारा 7 या धारा 15 का उल्लंघन होता है। विवाह न तो शून्य है और न ही शून्यकरणीय है और इस तरह यह धारा 11 या 12 के अंतर्गत नहीं आता है और परिणामस्वरूप हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अंतर्गत नहीं आता है।

डॉ. कपिल देव
सहायक प्रोफेसर.
रॉयल कॉलेज ऑफ लॉ गाजियाबाद

ROYAL THRIVE
(A Peer Reviewed & Refereed Journal)
Volume – 2 Issue – 1 January – 2025 ISSN : 3048-524X

हालाँकि न्यायिक घोषणाओं ने काम आसान कर दिया था। श्रीमती चरनचा मोहिनी श्रीवास्तव बनाम अविनाश पार्षद श्रीवास्तव में इस बात पर विवाद था कि जब उच्च न्यायालय द्वारा तलाक दिए जाने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका लंबित थी, तब किया गया विवाह शून्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर चर्चा की कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 के उल्लंघन में किया गया विवाह अमान्य है और शून्य नहीं है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:- हमें इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि नई पत्नी से पैदा हुआ बच्चा वैध होगा या नहीं, सिवाय इसके कि ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 16 नए बच्चे की सहायता के लिए आ सकती है। इस प्रकार इस निर्णय के अनुसार दो बिंदु सामने आए हैं:-

(1) धारा 15 का उल्लंघन करके किया गया विवाह अवैध है।

(2) ऐसे अवैध विवाह से पैदा हुआ बच्चा भी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत आता है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 पर पी.ई.के. कल्लियानी अम्मा बनाम के. देवी में विवाद हुआ था। यद्यपि यह प्रश्न केरल संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 और मरुमक्कट्टयम अधिनियम, 1933 के तहत दूसरे विवाह से संबंधित था, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान पर भी चर्चा की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय का विचार था कि अधिनियम की धारा 16 में "धारा 11 के अंतर्गत विवाह शून्य और अमान्य होने के बावजूद" शब्दों के प्रयोग के कारण धारा 16 को धारा 11 से पृथक कर दिया गया है तथा धारा 16 धारा 11 के बावजूद पूर्ण शक्ति के साथ कार्य करेगी तथा धारा 16 अपनी शक्ति पर खड़ी है तथा अन्य धाराओं से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। धारा 16 में एक कानूनी कल्पना है। यह "फिक्टो ज्यूरिस" के नियम द्वारा है जिसे विधानमंडल ने प्रदान किया है; कि बच्चे, यद्यपि नाजायज हैं, फिर भी, वैध माने जाएंगे, भले ही विवाह शून्य या शून्यकरणीय हो। इस अनुपात निर्णय द्वारा, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 का उल्लंघन, जन्म लेने वाले बच्चों को नाजायज नहीं बनाएगा तथा इस प्रकार उन्हें अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत कानूनी आश्रय मिलेगा।

श्रेणी (4):- इस श्रेणी में नाजायज बच्चों के अपनी मां की संपत्ति में उत्तराधिकार के अधिकार को सुरक्षित और मान्यता दी गई है, लेकिन पिता की संपत्ति में नहीं। दूसरी ओर, लगातार रखी गई उपपत्नी से पैदा हुए व्यक्ति के नाजायज बेटे को, जिसे अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार था, अब उस अधिकार से वंचित कर दिया गया है। यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 3(1)(जे) के अंतर्गत आता है, जिसमें कहा गया है कि नाजायज बच्चे अपनी मां से और एक-दूसरे से संबंधित माने जाएंगे और गुरबचन सिंह बनाम खीचर सिंह में कहा गया है कि हालांकि आम तौर

डॉ. कपिल देव
सहायक प्रोफेसर.
रॉयल कॉलेज ऑफ लॉ गाजियाबाद

ROYAL THRIVE
(A Peer Reviewed & Refereed Journal)
Volume – 2 Issue – 1 January – 2025 ISSN : 3048-524X

पर नाजायज बच्चों को बच्चे नहीं माना जाता है, फिर भी जहां तक अपनी मां के साथ संबंध का सवाल है, धारा 3(1)(जे) के प्रावधान के आधार पर नाजायज बच्चे भी उसकी संतान माने जाते हैं। इस प्रकार नाजायज बेटे की वर्तमान स्थिति मनु और याज्ञवल्क्य द्वारा बताई गई स्थिति के बिल्कुल विपरीत है।

निष्कर्ष और सुझाव

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि यद्यपि वैध पुत्र (औरस) आध्यात्मिक लाभ के साथ-साथ परिवार की निरंतरता के लिए भी वांछित था, आर्यों ने एक ही समय में बारह या तेरह प्रकार के पुत्रों को मान्यता दी। यद्यपि विभिन्न प्रकार के पुत्रों की मान्यता के लिए अलग-अलग संस्करण दिए गए हैं, यह कहना अनुचित नहीं है कि चाहे जो भी उद्देश्य हो, आर्य कभी नहीं चाहते थे कि व्यक्ति पुत्रहीन मर जाए। इसका अनुमान स्मृतियों से लगाया जा सकता है जिसमें एकमात्र पुत्र को गोद लेने पर रोक लगाई गई है। वसिष्ठ और बौधायन कहते हैं, "कोई भी व्यक्ति एकलौता पुत्र न दे या न ले, क्योंकि उसे इस पूर्वज के अंतिम संस्कार के लिए रहना चाहिए।"

नंद पंडित कहते हैं कि वसिष्ठ द्वारा निंदा की गई वंश के विलुप्त होने का अपराध देने वाले और लेने वाले दोनों द्वारा किया जाता है। इसे मनु के साथ पढ़ने पर "तीन (पूर्वजों) को जल अर्पित करना चाहिए, तीन को अंतिम संस्कार की टिकिया दी जानी चाहिए...." यह स्पष्ट है कि आध्यात्मिक पुण्य के लिए एक पुत्र की आवश्यकता है। इस संबंध में आर्यों ने बहुत सावधानी बरती कि यदि पुत्र असफल हो जाए, क्योंकि पुत्र अपने पिता को पूत नामक नरक से मुक्त करता है, तो पुत्र को सामाजिक दर्जा, धार्मिक और कानूनी मान्यता दी जाती थी। इसका आधार आध्यात्मिक गुण था, न कि संपत्ति के अधिकार पर विचार। वर्तमान कानूनी व्यवस्था में, स्पष्ट रूप से कानून धर्मनिरपेक्ष और भौतिकवादी दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, जहां धार्मिक या आध्यात्मिक गुण गौण हैं और आधार संपत्ति के अधिकार का प्रावधान है। अब कानून अवधारणा में भौतिकवादी है। औरस पुत्र वर्ग I का उत्तराधिकारी है और उसके पास संपत्ति के पूरे अधिकार हैं। वैध पुत्र को केवल माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार है, दूसरों की नहीं। नाजायज पुत्र को केवल मां से ही विरासत मिलेगी। इसलिए वर्तमान कानून संपत्ति के अधिकार के सिद्धांत पर आधारित है और बच्चे की सामाजिक स्थिति को नजरअंदाज करता है। इसने हिंदू सामाजिक रीति-रिवाजों की अनदेखी करते हुए बच्चे को खंडित कर दिया है।

कभी भी बहुत देर नहीं होती। दृष्टिकोण में बदलाव का समय आ गया है कि वर्तमान को अतीत की इमारत पर बनाया जाना चाहिए और उसे बलिदान नहीं किया जाना चाहिए। हमारी गौरवशाली परंपराओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बच्चे को वैध बच्चे, वैध बच्चे और नाजायज बच्चे में विभाजित न करें, क्योंकि जब तक छोटे बच्चों को कलंकित किया जाता है और उन्हें पीड़ित होने दिया जाता है, तब तक इस दुनिया में सच्चा प्यार नहीं है। हमें एक व्यावहारिक

डॉ. कपिल देव
सहायक प्रोफेसर.
रॉयल कॉलेज ऑफ लॉ गाजियाबाद

कानूनी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और ऐसे उपाय अपनाने चाहिए ताकि बच्चे के नाजायज व्यवहार को किसी भी क़ानून की किताब में जगह न मिले।

संदर्भ

1. डॉ. हरदेव कोहली, लॉ एंड इल्लीजिटिमेट चाइल्ड, 2003, पृष्ठ 15 में उद्धृत।
2. देखिए, रोशन सिंह बनाम. बलवंत सिंह, (1900) 22 ए.एल.एल. 191; चुओटुर्या वि. पुरहुपाद, (1857) 7 एम. आई. ए. 18; अनंतया वि. विष्णु, (1893) 17 मद. 160; हीरालाल लक्ष्मण दास बनाम. मेघचंद भीकचंद, (1938) बी 779; निलमनी सिंह बनाम. बनेशूर, (1879) 4 कैल.। 91
3. वेल्लईयप्पा चेट्टी बनाम नटराजन, ए.आई.आर. 1931 पी.सी. 254 ए.आई.आर. 1927 मैड. 386
4. घाना वि. गेरेब, (1905) 32 कैल. 479; ढेर वि. सिंगारावेलु, (1885) 8 मैड। 325
5. राही बनाम गोविंद, (1876) 1 बम. 97; सादु बनाम बैजा, (1880) 4 बोम। 37; गंगाबाई बनाम बंडू, (1916) 40 बम। 369; राम काली बनाम फाम्मा, (1908) 30 ए.एल.एल. 508; रजनीकांत दास बनाम निताई चंदेरा देई, ए.आई.आर. 1921 कैल. 820 (एफ.बी.); नागुबाई बनाम बाई मौघीबाई, ए.आई.आर. 1926 पी.सी. 73.
6. रामचन्द्र डोडप्पा बनाम हनामनाइक डोडनाइक, ए.आई.आर. 1936 बम. 1.
7. राही बनाम गोविंद, (1876) 1 बम. 97.
8. गंगाबाई बनाम बंडू, (1916) 40 बम. 369.
9. ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 581.
10. ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 1963.
11. ए.आई.आर. 1971 पी एंड एच 240

डॉ. कपिल देव
सहायक प्रोफेसर.
रॉयल कॉलेज ऑफ लॉ गाजियाबाद